



2026:AHC:43214-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या-249/2026

प्रबंधन समिति और अन्य

.....अपीलकर्ताओं

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: दुर्गा तिवारी

प्रतिवादीओं के अधिवक्ता: राजीव सिंह, स्थायी अधिवक्ता, रमेश चंद्र द्विवेदी

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंशाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. यह अपील दिनांक 12.11.2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 53830/2015 में पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा रिट याचिका को 2020 की याचिका संख्या 3829/2020 को रिट सी में पारित आदेश के संदर्भ में निरस्त कर दिया गया था।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि वर्तमान रिट याचिका का विषय, यद्यपि यह उसी सोसायटी/संस्था से संबंधित है, पूर्ण रूप से भिन्न है तथा जहां तक क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा पारित दिनांक 20.05.2015 के आदेश के विरुद्ध उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती का संबंध है, उस पहलू का निर्धारण रिट याचिका संख्या 3829/2020 में पारित आदेश से स्वतंत्र रूप से किया जाना आवश्यक है।
3. रिट याचिका संख्या 53830/2015 में पारित दिनांक 12.11.2025 के आदेश के अवलोकन से, हम पाते हैं कि यद्यपि माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका संख्या 3829/2020 में पारित आदेश के संदर्भ में रिट याचिका को निरस्त कर दिया है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि याचिका संख्या 3829/2020 के निस्तारण के कारण वर्तमान रिट याचिका में उठाई गई चुनौती पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसे निरस्त किया जाना आवश्यक था।
4. उक्त परिस्थिति को देखते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उन्हें रिट याचिका संख्या 53830/2015 को वापस भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संस्था/सोसायटी से संबंधित अपील संख्या 1301/2025 में इस न्यायालय ने एक अन्य याचिका, रिट याचिका संख्या 51267/2017 को बहाल कर दिया गया है, जिसका निर्णय उसी दिन रिट याचिका संख्या 3829/2020 के आदेश के संदर्भ में किया गया था, और वर्तमान रिट याचिका को उक्त याचिका से जोड़ा जा सकता है।

5. उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में, रिट याचिका संख्या 53830/2015 में दिनांक 12.11.2015 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। रिट याचिका को उसके मूल क्रमांक पर पुनः स्थापित किया जाता है। इसे रिट याचिका संख्या 51267/2017 के साथ जोड़ दिया जाए और उक्त रिट याचिका के साथ इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। यदि कोई प्रतिवाद हो तो अब रिट याचिका के उत्तर में प्रतिवाद दाखिल किया जा सकता है।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ, विशेष अपील का निस्तारण किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंशाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

संदीप/एसएल